

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी

के लिए

सेवा प्रदाता संस्था / कम्पनी के

चयन हेतु

निविदा प्रपत्र



बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी  
मीठापुर, कृषि प्रक्षेत्र पटना— 800001

## सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी के चयन हेतु निविदा

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी के अधीन विभिन्न कार्यालयों में निम्न पदों पर अस्थायी व्यवस्था के तहत संविदा के आधार पर सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजन किया जाना है।

क्र०	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता/अनुभव	मानदेय (रु० प्रतिमाह)	पदों की संख्या
1	पादप प्रजनक एवं तकनीकी विशेषज्ञ	पादप प्रजनन/बीज प्रद्योगिकी में डॉक्टरेट की उपाधि	30,000	01
2	प्रभारी पदाधिकारी प्रयोगशाला	स्नातकोत्तर, कृषि (पादप प्रजनक एवं आनुवांशिकी/बीज प्रद्योगिकी/प्लान्ट बायोटेक्नोलॉजी)	25,000	01
3	बीज प्रमाणन निरीक्षक	बी०एस०सी० (कृषि)	20,000	10
4	सहायक बीज विश्लेषक	बी०एस०सी० (कृषि)	20,000	01
	सहायक बीज विश्लेषक	स्नातकोत्तर बायोटेक्नोलॉजी	20,000	01
5	उच्च वर्गीय लिपिक	स्नातक एवं 5 वर्षों का कार्यालय कार्य का अनुभव	15,000	01
6	सहायक सह टंकक	इण्टरमिडिएट एवं कम्प्यूटर कार्य में दक्ष	12,000	01
7	रोकड़पाल	आई०कम एवं किसी संस्थान में एक वर्ष का कार्य अनुभव	12,000	01
8	प्रयोगशाला सहायक	इण्टरमिडिएट, विज्ञान एवं दो साल का प्रयोगशाला कार्य में अनुभव	10,000	02
9	दैनिक लिपिक	इण्टरमिडिएट	10,000	03
10	क्षेत्र सहायक	मैट्रिक	10,000	01
11	प्रयोगशाला सेवक	मैट्रिक	6,000	01
12	कार्यालय पिउन	मैट्रिक	6,000	01
13	चौकीदार	मैट्रिक	6,000	01
14	कार्यालय पदचर	मैट्रिक	6,000	03
<b>कुल योग—</b>				<b>29</b>

सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी के चयन के लिए बिहार राज्य में अवस्थित सक्षम योग्य एवम पंजीकृत संस्थाओं/कम्पनियों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

1. सेवा प्रदाता कम्पनी/संस्था को कम्पनी एक्ट 1956/213/सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत बिहार में निबंधित होना चाहिए।
2. सेवा प्रदाता कम्पनी/संस्था को सरकार में इस प्रकार के समान कार्य के लिए न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जिसमें कम से कम 500 (पाँच सौ) व्यक्तियों को नियोजन कराने का अनुभव हो।
3. कम्पनी/संस्था का वार्षिक टर्न-ओवर विगत तीन वर्षों का न्यूनतम औसत पचास लाख रु० होना चाहिए यानि तीन वर्षों (2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 तक) का टर्न-ओवर एक करोड़ पचास लाख से कम नहीं होना चाहिए।
4. संस्था को आयकर, सेवा कर, पी०एफ० कर्मचारी राज्य बीमा आयोग से विधिवत् निबंधन होना अनिवार्य होगा।
5. कम्पनी/संस्था को भारत सरकार/ बिहार राज्य के किसी सरकारी विभाग/निगम/बोर्ड द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो।
6. सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी को बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी द्वारा निर्धारित तकनीकी एवं वित्तीय योग्यता/शर्तों, विशेष शर्तों एवम् सामान्य अनुदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. चयनित सेवा प्रदाता एजेन्सी का कार्यकाल एक वर्ष का होगा जिसे संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अवधि विस्तार किया जा सकता है।

8. निविदा दिनांक .....14/08/2015..... के 5:00 बजे अपराहन तक निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना-800001 के कार्यालय में प्राप्त की जाएगी। जिसे दिनांक .....17/08/2015..... को 11:00 बजे पूर्वाहन में निविदादाता/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चयन समिति के समक्ष खोला जायेगा।
9. किसी भी निविदा/सभी निविदाओं/ऑफर को स्वीकृत/अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकार निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी के पास सुरक्षित रहेगा।
10. निविदा की शर्तें, तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का आवेदन प्रपत्र, संस्था/कम्पनी के चयन की प्रक्रिया, अभ्यर्थियों के चयन हेतु सामान्य अनुदेश, एकरारनामा का प्रपत्र एवं विशेष जानकारी कृषि विभाग के बेबसाइट .krishi.bih.nic.in/बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी के बेबसाइट .bssca.co.in. पर अथवा कार्यालय अवधि में एजेन्सी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

**निदेशक**  
**बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी**  
**पटना**

## अनुसूची-1

### सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी के चयन हेतु आवश्यक शर्तें

11. सेवा प्रदाता कम्पनी/संस्था को कम्पनी एक्ट 1956/213/सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत बिहार में निबंधित होना चाहिए।
12. सेवा प्रदाता कम्पनी/संस्था को सरकार में इस प्रकार के समान कार्य के लिए न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जिसमें कम से कम 500 (पाँच सौ) व्यक्तियों को नियोजन कराने का अनुभव हो।
13. कम्पनी/संस्था का वार्षिक टर्न-ओवर विगत तीन वर्षों का न्यूनतम औसत पचास लाख रू0 होना चाहिए यानि तीन वर्षों (2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 तक) का टर्न-ओवर एक करोड़ पचास लाख से कम नहीं होना चाहिए।
14. संस्था को आयकर, सेवा कर, पी0एफ0 कर्मचारी राज्य बीमा आयोग से विधिवत् निबंधन होना अनिवार्य होगा।
15. कम्पनी/संस्था को भारत सरकार/ बिहार राज्य के किसी सरकारी विभाग/निगम/बोर्ड द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो।
16. अभिरूचि का आमंत्रण दिनांक ....14/08/2015.... तक निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, कृषि फार्म, मीठापुर, पटना के कार्यालय में अपराह्न 5:00 बजे तक प्राप्त की जायेगी। संस्था/कम्पनी को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र में दो भागों में समर्पित करना अनिवार्य होगा। पहला भाग तकनीकी निविदा एवं दूसरा भाग वित्तीय निविदा का होगा। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा को दो अलग-अलग लिफाफे में सील/ मुहर बंद किया जाएगा जिस पर स्पष्ट रूप से तकनीकी/वित्तीय निविदा लिखा होना चाहिए। फिर दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर सील/ मुहर बंद किया जाएगा। तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन के रूप में रू0 5,000/- (पाँच हजार) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य है। तकनीकी निविदा की समीक्षा के उपरान्त योग्य संस्थाओं का ही वित्तीय निविदा दिनांक ....17/08/2015.... को अथवा इसके ठीक दूसरे दिन खोली जायेगी तथा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के पश्चात् सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी के चयन की अनुशंसा चयन समिति द्वारा की जायेगी।
17. निविदा प्रपत्र एवं विषय वस्तु से संबंधित पूरी जानकारी एजेन्सी के वेबसाईट/कृषि विभाग के वेबसाईट पर देखी जा सकती है अथवा कार्यालय अवधि में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
18. कम्पनी द्वारा अग्रधन के रूप में जमा राशि उनके प्रस्ताव स्वीकृति की स्थिति में सुरक्षित राशि के रूप में समायोजित किया जायेगा एवं अन्य असफल प्रस्तावों का अग्रधन वापस कर दिया जायेगा। प्रस्ताव स्वीकृति की स्थिति में सफल कम्पनी/संस्था को सुरक्षित राशि के रूप में रू0 5.00 लाख का बैंक गारंटी जमा करना होगा।
19. कम्पनी /संस्था के चयन के प्रस्ताव की सक्षम स्तर से स्वीकृत प्राप्त होने के उपरान्त कार्यादेश निर्गत होने की स्थिति में सेवा प्रदायी कम्पनी /संस्था को अधिकतम एक माह के अन्दर अर्हता प्राप्त योग्य उमीदवार का चयन कर एजेन्सी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों का चयन सम्बंधित पदों हेतु विज्ञापन निकाल कर करना अनिवार्य होगा।
20. सभी प्रस्तावों/किसी प्रस्तावों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी के पास सुरक्षित रहेगा।
21. प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियोजन होने वाले पदों की संख्या घटाने-बढ़ाने का अधिकार बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी के पास सुरक्षित रहेगा।

निदेशक

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी

पटना

## अनुसूची-2

सेवा प्रदाता संस्था / कम्पनी के चयन हेतु तकनीकी निविदा के लिए आवेदन प्रपत्र

1. कम्पनी / संस्था का नाम:— .....
2. निबंधन संख्या एवं तिथि:— .....
3. निबंधन का अधिनियम:— .....
4. प्रोपराइटर / प्रबंध निदेशक / निदेशक का नाम:— .....
5. पिता / पति का नाम:— .....
6. निबंधित कार्यालय का पूरा पता:— .....
7. दूरभाष संख्या / फ़ैक्स संख्या / ई0 मेल:— .....
8. भारत सरकार / राज्य सरकार / बोर्ड / निगम में सेवा प्रदाता के रूप में अनुभव (प्रमाण पत्र / आदेश की प्रति संलग्न करें) :—

क्र0	वर्ष	विभाग / कार्यालय का नाम	कर्मियों की सं.	कर्मियों का स्तर
1	12-13			
2	13-14			
3	14-15			
4				

(स्थान कम होने पर अलग कागजात पर लिखें)

9. विगत 3 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर (कागजात संलग्न करें):—  
2012-13 :—  
2013-14 :—  
2014-15 :—

10. बिहार में कहाँ-कहाँ कार्यालय है :—

क्र0	शहर	कार्यालय का नाम	स्थान / पता	प्रभारी का नाम एवं सम्पर्क नं0

**11. कम्पनी/संस्था के निबंधन का विवरण:—**

1. आयकर का पैन/जी0आई0 आर0 नं0.
  2. सेवाकर निबंधन संख्या
  3. ई0एस0 आई0 निबंधन संख्या
  4. ई0पी0एफ0 निबंधन संख्या
  5. अन्य
12. सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी को देश के किसी भी हिस्से में ब्लैक लिस्टेड नहीं होने/न्यायालय द्वारा अनुबंध खारिज हेतु दंडित नहीं होने/अपराधी नहीं होने से सम्बंधित शपथ पत्र (नोटर पब्लिक का शपथ पत्र संलग्न कर)।
13. कम से कम विगत तीन वर्षों का दाखिल आयकर रिटर्न की प्रति ।
14. अग्रधन रूपया 5,000/— (पाँच हजार रुपये) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट, निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी के पदनाम से होना चाहिए।

बैंक का नाम एवं शाखा	राशि	डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0/तिथि

**15. घोषणा पत्र:—**

एतद द्वारा घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त विवरणी मेरी जानकारी में एवं अभिलेखों के आधार पर सत्य है। भविष्य में कोई भी सूचना असत्य/गलत पाये जाने पर मेरी संस्था/कम्पनी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

**निविदाकर्ता का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम**

स्थान:—

पता:—

### अनुसूची-3

#### सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी के चयन हेतु वित्तीय निविदा का प्रपत्र

1. कम्पनी/संस्था का नाम:- .....
2. निविदादाता का नाम एवं पदनाम:- .....
3. कम्पनी/संस्था का निबंधित कार्यालय का पूर्ण पता:- .....
4. दूरभाष/फैक्स/ई0मेल:- .....
5. पदवार सेवा शुल्क/ई0पी0एफ0/बीमा शुल्क आदि करों की कटौती एवं भुगतेय राशि का विवरण :-

क्र0	पद का नाम	अनुबंध का मानदेय (रूपया/माह)	सेवा कर प्रतिशत में एवं राशि रू0 में	सेवा शुल्क पर सेवाकर	कर्मचारी बीमा शुल्क	अन्य शुल्क	अभ्यर्थी को शुद्ध भुगतेय राशि रूपये में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पादप प्रजनक एवं तकनीकी विशेषज्ञ	30,000					
2	प्रभारी पदाधिकारी प्रयोगशाला	25,000					
3	बीज प्रमाणन निरीक्षक	20,000					
4	सहायक बीज विश्लेषक	20,000					
5	सहायक बीज विश्लेषक	20,000					
6	उच्च वर्गीय लिपिक	15,000					
7	सहायक सह टंकक	15,000					
8	रोकड़पाल	15,000					
9	प्रयोगशाला सहायक	10,000					
10	दैनिक लिपिक	10,000					
11	क्षेत्र सहायक	10,000					
12	प्रयोगशाला सेवक	6,000					
13	कार्यालय पिउन	6,000					
14	चौकीदार	6,000					

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है भविष्य में कोई भी सूचना असत्य/गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

निविदाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान :-

पता :-

## अनुसूची-4

सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी के चयन की प्रक्रिया:-

### (क) तकनीकी निविदा का मूल्यांकन

प्राप्त सभी तकनीकी प्रस्तावों की समीक्षा निम्नवत् मापदण्ड पर करते हुए प्रत्येक विषय पर निम्नवत् विवरणी के आधार पर अंक दिये जायेंगे। न्यूनतम 70 प्रतिशत अर्थात् न्यूनतम 70 अंक पाने वाली कम्पनी/संस्था को योग्य माना जाएगा।

क्र०	मानक	पूर्णांक
1.	कम्पनी/संस्था का अनुभव (पटना में निबंध के आधार पर)	10
	5 से 7 वर्ष का अनुभव – 70 प्रतिशत 7 से 10 वर्ष तक का अनुभव – 80 प्रतिशत 10 से 12 वर्ष तक का अनुभव – 100 प्रतिशत	
2.	संस्था/सरकारी/प्रतिष्ठान में सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने का अनुभव	30
	तीन विभाग में सेवा देने का अनुभव – 70 प्रतिशत तीन विभाग में समान पद पर प्रखण्ड स्तर पर कार्य का अनुभव – 80 प्रतिशत तीन विभाग के साथ बीज प्रमाणन से सम्बंधित कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव – 100 प्रतिशत	
3.	विगत तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर (2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 तक)	10
	1-3 करोड़ के बीच – 70 प्रतिशत 3 करोड़ तक – 80 प्रतिशत 3 करोड़ से अधिक – 100 प्रतिशत	
4.	बिहार राज्य में कार्यालय	20
	पटना में निबंधित कार्यालय – 70 प्रतिशत पटना के अतिरिक्त दो शहरों में पिछले 5 वर्ष से कार्यालय – 80 प्रतिशत पटना के अतिरिक्त तीन शहरों में पिछले 10 वर्षों से कार्यालय – 100 प्रतिशत	
5	आयकर रिटर्न	30
	तीन वर्ष तक दाखिल आयकर रिटर्न पर – 70 प्रतिशत तीन से 5 वर्ष तक दाखिल आयकर रिटर्न पर – 80 प्रतिशत 5 वर्षों से ज्यादा समय के आयकर रिटर्न पर – 100 प्रतिशत	

### (ख) वित्तीय निविदा का मूल्यांकन:-

तकनीकी मूल्यांकन में योग्य पाई कम्पनी/संस्था का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा। वित्तीय निविदा में सेवाप्रदायी कम्पनी/संस्था को इस कार्य के लिए रीजनवार "सेवा शुल्क" (Service Charge) का उल्लेख कर सकती है अन्यथा यह माना जाएगा कि दिया गया वित्तीय निविदा सभी जगहों के लिए है।

क्र०	मानक	अधिकतम अंक (30)
1	L-1	30
2	L-2	20
3	L-3, L-4, L-5	10

### (ग) अंतिम चयन की प्रक्रिया:-

- कम्पनी/संस्था का चयन उनके तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में प्राप्त अंको को आधार मानकर QCBS (Quality & Cost Based Selection) तकनीक द्वारा किया जायेगा। इसके वित्तीय निविदा के प्राप्तांक का वेटेज 30 प्रतिशत तथा तकनीकी स्कोर का वेटेज 70 प्रतिशत होगा।
- कार्य का आवंटन उस कम्पनी/संस्था को किया जायेगा जो तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के Weightage के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त किया हो।



**अनुसूची-5**  
**बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, पटना**

**विषय:-** एजेन्सी में संविदा पर नियोजन हेतु सेवा प्रदायी कम्पनी/संस्था द्वारा निविदा समर्पित करने एवं उनका चयन करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आदि से संबंधित सामान्य अनुदेश।

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, कृषि विभाग की एक स्वायत्त संस्था है जो बीज प्रमाणीकरण का कार्य करती है। यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन एक निबंधित संस्था है। इसका मुख्यालय पटना में अवस्थित है तथा कुदरा (कैमूर), भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थित है।

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी में आवश्यकता आधारित स्वीकृत पदों पर जिसका नियोजन संविदा के आधार पर सेवा प्रदाता कम्पनी/संस्था के माध्यम से किया जायेगा।

सेवा प्रदाता कम्पनी/संस्था के माध्यम से नियोजित व्यक्ति को एजेन्सी मुख्यालय या एजेन्सी के किसी क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित किया जायेगा।

सेवा शर्त सेवा प्रदाता कम्पनी/संस्था के माध्यम से नियोजित व्यक्ति को एजेन्सी कार्य में किसी प्रकार के दुराचार/कर्तव्यहीनता/अक्षमता/लापरवाही/असंतोषजनक कार्य पाये जाने की स्थिति में कभी भी कार्यमुक्त किया जा सकता है।

2. सेवा प्रदाता कम्पनी/संस्था के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार के सरकारी या स्थायी नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।

सेवा प्रदाता कम्पनी/संस्था की सेवा समाप्त की जाती है, तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी के कार्यालयों में अस्थाई व्यवस्था के तहत संविदा के आधार पर कुल 14 (चौदह) प्रकार के पद जिसका निर्धारित मानदेय प्रति माह वित्तीय निविदा में अंकित है की आवश्यकता है।

3. कंडिका संख्या 2 में वर्णित पदों पर नियोजन सेवा प्रदायी कम्पनी/संस्थान के माध्यम से संविदा के आधार पर तत्काल एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा। एजेन्सी को आवश्यकता होने पर संतोषजनक कार्य करने वाले संस्था के सेवा का नवीकरण किया जा सकेगा।

4. सेवा प्रदायी कम्पनी/संस्थान द्वारा बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी के अधिनस्थ कार्यालयों के लिए संविदा में नियोजन होने वाले व्यक्तियों का नियोक्ता, नियोजन करने वाली

कम्पनी/संस्था ही होगी। कम्पनी/संस्था को इन नियोजित ब्यक्तियों के लिए निर्धारित मानदेय का भुगतान समेकित रूप से एजेन्सी द्वारा किया जायगा। नियोक्ता कम्पनी/संस्था नियोजित ब्यक्तियों को मानदेय का भुगतान करेगी।

5. नियोजित होने वाले व्यक्तियों का बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी के किसी कार्यालय या पदाधिकारी के रूप में किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। संविदा पर कार्य नियोक्ता कम्पनी/संस्था द्वारा दिया जा रहा है। अतः वे उनके साथ अनुबंध करेंगे एवं सेवा प्रदायी कम्पनी/संस्था विभागीय कार्यालय के साथ अनुबंध करेंगी।

6. किसी भी परिस्थिति में संविदा पर की गई सेवा एजेन्सी में स्थाई नियोजन का आधार नहीं होगा।

7. बिहार में श्रम संसाधन विभाग एवं अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के विभागों द्वारा ऐसे नियोजन के लिए नियोजित होने वाले व्यक्तियों के मानदेय में से की जाने वाली कटौतियों तथा PF बीमा एवं अन्य प्रकार की कटौतियों का भुगतान कंपनी/संस्था द्वारा संबंधित व्यक्तियों के मानदेय से कटौती कर अथवा अपने शुल्क से संबंधित एकाउंट में जमा की जायेगी। इस प्रकार की कटौतियों जमा करने के लिए बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी उत्तरदायी नहीं होगा।

8. सेवा प्रदायी कम्पनी/संस्था को नियोजित व्यक्तियों का एकमुस्त निर्धारित मानदेय भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। मानदेय की गणना सम्बंधित कर्मचारी के कार्य दिवस/अनुपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर की जाएगी।

9. **आचरण प्रमाण पत्र:-**

स्थानीय पुलिस थाने से जहाँ-जहाँ विगत पाँच वर्षों में आवेदक एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया हो, के साथ उने पैतृक आवासीय पते के थाने से आचरण सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अपराधिक मामले में नामजद व्यक्ति/चार्जशीटेड व्यक्ति या सजा प्राप्त किया व्यक्ति इस नियोजन में शामिल नहीं किया जाएगा।

10. **विभिन्न पदों पर चयन की प्रक्रिया:-**

10.1 संविदा पर नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित 100 बिन्दुओं के आदर्श आरक्षण नियमों का पालन कर किया जायेगा।

## 10.2 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

क्र0	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता/अनुभव	प्राथमिकता
1	प्रभारी पदाधिकारी प्रयोगशाला	स्नातकोत्तर, कृषि (पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी/बीज प्रद्यौगिकी/प्लान्ट बायोटेक्नोलॉजी)	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
2	पादप प्रजनक एवं तकनीकी विशेषज्ञ	पादप प्रजनन/बीज प्रद्यौगिकी में डॉक्टरेट की उपाधि	सम्बंधित विषयों से सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक को उम्र सीमा में छूट
3	बीज प्रमाणन निरीक्षक	बी0एस0सी0 (कृषि)	प्लांटब्रीडिंग/सीडटेक्नोलॉजी/एग्रोनौमी/एग्री मैनेजमेन्ट में स्नाकोत्तर को प्राथमिकता।
4	सहायक बीज विश्लेषक	बी0एस0सी0 (कृषि)	प्लांटब्रीडिंग/सीडटेक्नोलॉजी/एग्रोनौमी/एग्री मैनेजमेन्ट में स्नाकोत्तर को प्राथमिकता।
	सहायक बीज विश्लेषक	स्नातकोत्तर बायोटेक्नोलॉजी	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
5	उच्च वर्गीय लिपिक	स्नातक एवं 5 वर्षों का कार्यालय कार्य का अनुभव	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
6	सहायक सह टंकक	इण्टरमिडिएट एवं कम्प्यूटर कार्य में दक्ष	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
7	रोकड़पाल	आई0कम एवं किसी संस्थान में एक वर्ष का कार्य अनुभव	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
8	प्रयोगशाला सहायक	इण्टरमिडिएट, विज्ञान एवं दो साल का प्रयोगशाला कार्य में अनुभव	किसी सरकारी/एजेन्सी/निगम बोर्ड संस्थान के बीज प्रयोगशाला में कार्य के अनुभव का प्राथमिकता
9	दैनिक लिपिक	इण्टरमिडिएट	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
10	क्षेत्र सहायक	मैट्रिक	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
11	प्रयोगशाला सेवक	मैट्रिक	किसी सरकारी/एजेन्सी/निगम बोर्ड संस्थान के बीज प्रयोगशाला में कार्य के अनुभव का प्राथमिकता
12	कार्यालय पिउन	मैट्रिक	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
13	चौकीदार	मैट्रिक	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
14	कार्यालय पदचर	मैट्रिक	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।

शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन सम्बंधित संस्थान से कराया जाएगा। प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर विधिसम्मत कारवाई की जाएगी।

## 10.3 उम्र सीमा:- नियोजन हेतु अभ्यर्थी की आयु निम्नवत् रहेंगी:-

श्रेणी	उम्र
सामान्य	न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 37 वर्ष
पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा जाति	न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष
अनु0जाति/अनु0 जनजाति	न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष

(i) उम्र की गणना दिनांक 01.01.2015 को कटऑफ डेट मानकर की जायेगी।

(ii) उम्र के सत्यापन का आधार मैट्रिकुलेशन का प्रमाण-पत्र होगा।

**10.4** इच्छुक/योग्य अभ्यर्थियों का चयन-सेवा प्रदाता द्वारा रिक्त पदों के विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित कराकर प्रत्येक पद के लिए 3-5 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले/प्राथमिकता वाले अभ्यर्थियों की सेवा उनके पूर्ण बायोडाटा सहित एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा। शेष अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में रहेंगे।

➤ किसी कारणवश पद रिक्त होने पर उन्हें प्रतीक्षा सूची से लिया जा सके। यह प्रतीक्षा सूची केवल एक वर्ष के लिए मान्य होगी। एक वर्ष बाद पुनः विज्ञापित निकालकर पूर्व की भाँति चयन किया जाएगा।

**10.5 चयन में अधिमान्यता :-** बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी अथवा अन्य राज्यों के बीज प्रमाणन एजेन्सी में कार्य करने वाले को सक्षम प्राधिकार के प्रमाण पत्र के आधार पर अंकों में अधिमान्यता निम्न प्रकार से दी जाएगी।

एक वर्ष का कार्य अनुभव — 10 अंक

2 वर्ष ,, ,, ,, — 20 अंक

3 वर्ष एवं ,, ,, — 30 अंक

**11.** आवेदकों का अंतर्वीक्षा/साक्षात्कार— सेवा प्रदायी कम्पनी/संस्था नियोजित होने वाले प्रत्येक पद का औसतन 2-3 गुणा अभ्यर्थियों के नामों की सूची एजेन्सी को अनुबंध पर कार्य करने हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा अंतर्वीक्षा साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा तथा पदवार नाम की अनुशंसा की जाएगी। इसी अनुशंसित व्यक्ति/अभ्यर्थी को सेवा प्रदायी संस्था/कम्पनी द्वारा एजेन्सी को अनुबंध पर कार्य करने हेतु सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

## अनुसूची-6

### एकरारनामा पत्र

यह एकरारनामा पटना में दिनांक ..... को

1. बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना

एवम्

2. मेसर्स .....

के बीच किया जा रहा है।

3. बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी द्वारा दिनांक ..... को एजेन्सी में आउट

सोर्सिंग द्वारा आवश्यकता आधारित पदों पर नियोजन हेतु मेसर्स .....

..... को उनके द्वारा समर्पित निविदा को उपयुक्त पाते हुए निम्न

शर्तों के अनुसार सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी के रूप में चयन कर अनुबंधित करने

का निर्णय लिया गया है।

4. इस कार्य से संबंधित एकरारनामा सामान्यतः एक वर्ष के लिए वैध होगा। परन्तु कार्य

असंतोषजनक होने पर बीच में भी एकरारनामा रद्द करने का अधिकार निदेशक को

होगा।

5. चयन हेतु उम्मीदवारों की पात्रता:—

क्र०	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता/अनुभव	प्राथमिकता
1	प्रभारी पदाधिकारी प्रयोगशाला	स्नातकोत्तर, कृषि (पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी/बीज प्रधौगिकी/प्लान्ट बायोटेक्नोलॉजी	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
2	पादप प्रजनक एवं तकनीकी विशेषज्ञ	पादप प्रजनन/बीज प्रधौगिकी में डॉक्टरेट की उपाधि	सम्बंधित विषयों से सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक को उम्र सीमा में छूट
3	बीज प्रमाणन निरीक्षक	बी०एस०सी० (कृषि)	प्लांटब्रीडिंग/सीडटेक्नोलॉजी/एग्रोनोमी/एग्री मैनेजमेन्ट में स्नाकोत्तर को प्राथमिकता।
4	सहायक बीज विश्लेषक	बी०एस०सी० (कृषि)	प्लांटब्रीडिंग/सीडटेक्नोलॉजी/एग्रोनोमी/एग्री मैनेजमेन्ट में स्नाकोत्तर को प्राथमिकता।
	सहायक बीज विश्लेषक	स्नातकोत्तर बायोटेक्नोलॉजी	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
5	उच्च वर्गीय लिपिक	स्नातक एवं 5 वर्षों का कार्यालय कार्य का अनुभव	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
6	सहायक सह टंकक	इण्टरमिडिएट एवं कम्प्यूटर कार्य में दक्ष	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
7	रोकड़पाल	आई०कम एवं किसी संस्थान में एक वर्ष का कार्य अनुभव	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
8	प्रयोगशाला सहायक	इण्टरमिडिएट, विज्ञान एवं दो साल का प्रयोगशाला कार्य में अनुभव	किसी सरकारी/एजेन्सी/निगम बोर्ड संस्थान के बीज प्रयोगशाला में कार्य के अनुभव का प्राथमिकता
9	दैनिक लिपिक	इण्टरमिडिएट	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
10	क्षेत्र सहायक	मैट्रिक	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
11	प्रयोगशाला सेवक	मैट्रिक	किसी सरकारी/एजेन्सी/निगम बोर्ड संस्थान के बीज प्रयोगशाला में कार्य के अनुभव का प्राथमिकता
12	कार्यालय पिउन	मैट्रिक	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
13	चौकीदार	मैट्रिक	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।
14	कार्यालय पदचर	मैट्रिक	सरकारी निगम/बोर्ड/प्रख्यात निजी क्षेत्र की कम्पनी में काम करने का अनुभव।

6. चयन हेतु उम्मीदवार की आयु सीमा नियोजन वर्ष के पहली जनवरी अर्थात दिनांक

01.1.2015 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष सामान्य वर्ग हेतु पिछड़ा वर्ग

हेतु 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 42 वर्ष होगी।

7. सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी द्वारा नियोजित होने वाले प्रत्येक पद के विरुद्ध योग्य समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर मेघा/प्राथमिकता के आधार पर चयन कर सम्बंधित कर्मी की सेवा एजेन्सी को उपलब्ध कराई जाएगी।
8. चयनित कर्मी की सेवा बिहार राज्य स्थित एजेन्सी के किसी भी कार्यालय में ली जायेगी।
9. सेवा प्रदाता एजेन्सी का कार्यकाल एक वर्ष का होगा जिसे संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अवधि विस्तार दिया जा सकता है।
10. प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियोजित होने वाले पदों की संख्या घटाने या बढ़ाने का अधिकार एजेन्सी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. निविदा में वर्णित पदों के अतिरिक्त भविष्य में अन्य किसी पद के लिए अनुबंध पर कर्मियों की आवश्यकता इस संस्था को हो सकती है, जिनकी अनुबंध राशि भिन्न हो सकती है। विभिन्न पदों के लिए अनुमान्य Contractual amount per month के आधार पर सेवा प्रदाता एजेन्सी अनुबंध पर कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होंगे।
12. सेवा प्रदाता एजेन्सी को 5,00,000 रू0 (पाँच लाख रूपये मात्र) की बैंक गारंटी देनी होगी एवं कार्य नहीं कर सकने की स्थिति में यह राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी में आवश्यकता आधारित स्वीकृत पदों पर कर्मियों का नियोजन सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से निविदा के आधार पर किया जायेगा।
14. सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से नियोजित व्यक्ति को एजेन्सी मुख्यालय या एजेन्सी के किसी क्षेत्रीय कार्यालय यथा कुदरा (कैमूर), भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में पदस्थापित किया जायेगा।

15. सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से नियोजित व्यक्ति को एजेन्सी कार्य में किसी प्रकार के दुराचार/कर्तव्यहीनता/अक्षमता/लापरवाही/ असंतोषजनक कार्य पाये जाने की स्थिति में कभी भी कार्यमुक्त किया जा सकता है।
16. सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार के सरकारी या स्थायी नियोजन का दावा एजेन्सी को मान्य नहीं होगा।
17. किसी कारण से यदि सेवा प्रदाता एजेन्सी की सेवा समाप्त की जाती है, तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
18. किसी भी नियोजित कर्मी को हटाने के पूर्व निदेशक से आदेश प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा। बिना आदेश के किसी भी कर्मी को अपने मन से हटाना एकरारनामा के विरुद्ध माना जाएगा।
19. दोनो पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देकर एकरारनामा को रद्द किया जा सकता है।
20. एजेन्सी कार्यालय में कार्य पर आने वाले कर्मियों को पदग्रहण के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
21. एजेन्सी द्वारा जमा किए गए प्रमाण पत्र में किसी भी समय त्रुटि पाए जाने पर एकरारनामा को रद्द किया जा सकता है।
22. किसी भी समस्या या विवाद के संबंध में अध्यक्ष, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी का निर्णय अंतिम होगा।
23. निर्धारित किसी भी मापदंड/ नियम जो एजेन्सी द्वारा निर्धारित है के उल्लंघन होने पर सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगी तथा ऐसे में निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी उनका एकरारनामा रद्द करने के लिए स्वतंत्र होंगे।



24. निधि के अनुपलब्धता या अन्य किसी कारण से भुगतान की बिलम्ब की दशा में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति इत्यादि का दावा जो शर्तों में उल्लेखित नहीं है, मान्य नहीं होगा।
25. सेवा प्रदायी संस्था/कम्पनी का एक प्रतिनिधि सप्ताह में एक बार कार्यालय में उपलब्ध कराये गए सेवाकर्मियों / पदाधिकारी से आकर परामर्श करेंगे ताकि किसी भी कार्यों का परस्पर आकलन किया जा सके तथा यदि किसी भी प्रकार की कमी हो तो दूर किया जा सके।
26. किसी कारणवश एजेन्सी के आवश्यकतानुसार किसी कर्मी को हटाने का निर्देश सेवा प्रदायी संस्था/कम्पनी को दिया जा सकता है तो संस्था/कम्पनी द्वारा अबिलम्ब प्रभावी ढंग से हटाने का कार्य किया जायेगा तथा यदि संस्था/कम्पनी किसी कर्मी को हटाना चाहता है तो उसे एजेन्सी से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।
27. उपलब्ध कराये गये कर्मी अनुशासित होंगे तथा बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी/बिहार सरकार/भारत सरकार के प्रति वफादार होंगे एवं उनके विरुद्ध किसी कार्य में संलिप्त नहीं होंगे।
28. एजेन्सी में उपलब्ध कराये गये सेवाकर्मी द्वारा एजेन्सी को कोई क्षति पहुँचाता है तो सेवा प्रदायी संस्था/कम्पनी पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगी जिसके लिये निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन संस्था/कम्पनी के लिये अनिवार्य होगा।
29. एजेन्सी द्वारा भुगतान के तीन कार्य दिवस के अन्दर संस्था/कम्पनी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
30. विभिन्न श्रम एवं औद्योगिक, नियमों जैसे- वेजेज एलॉवेन्स, कम्पनसेशन, पी0एफ0, बोनस, ग्रेच्युटी, एल0आई0सी0 इत्यादि जो कार्यरत कर्मियों से संबंधित है, के पालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी की होगी। साथ ही किसी सेवाकर्मी से दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में देय मुआवजा तथा अन्य प्रासंगिक खर्च का भी भुगतान सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी द्वारा किया जायेगा। बिहार राज्य बीज प्रमाणन

एजेन्सी पर इसका कोई दायित्व नहीं होगा। एजेन्सी को उपलब्ध कराये गये बीज प्रमाणन निरीक्षक के लिए एजेन्सी के शासी निकाय द्वारा स्वीकृत यात्रा भता सर्विस चार्ज एवं सर्विस टैक्स एवं उनके पारिश्रमिक के अलावे एजेन्सी द्वारा दिया जाएगा परन्तु सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी सर्विस चार्ज एवं सर्विस टैक्स की कटौती नियोजित कर्मियों की पारिश्रमिक से नहीं करेंगे। साथ ही निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान नियोजित कर्मियों को करना अनिवार्य होगा।

31. किसी कर्मी को छुट्टी/अनुपस्थिति की स्थिति में सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी को अन्य कर्मी की उपलब्धता की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी जिसके लिए किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान एजेन्सी नहीं करेगी।
32. प्रतिवर्ष नियमानुसार प्रत्येक कर्मी का आयकर रिटर्न सेवा प्रदाता संस्था/कम्पनी द्वारा जमा किया जाएगा।
33. शर्तों को अवहेलना की स्थिति में एजेन्सी को निम्न अधिकार सुरक्षित होगा।
  1. आदेश रद्द करना।
  2. निविदा की कुल राशि से दण्ड स्वरूप यथोचित कटौती करना।

#### प्रथम पक्ष

गवाह का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर

1. ....
2. ....

निदेशक  
बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी,  
कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना  
का हस्ताक्षर

#### द्वितीय पक्ष

संस्था/कम्पनी के निदेशक  
का हस्ताक्षर नाम एवं  
पूरा पता